XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 364-I/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायायल अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 442/अ-21/2012-13 में पारित आ0 दि0 16/12/2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959, जिसे आगे संहिता कहा जावेगा की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क0 एक सरुआ तनय बुद्वा सौंर द्वारा अपनी भूमि स्वामित्व की ग्रम कॉटी स्थित भूमि खसरा नं 419/4 रकवा 2.023 है0 भूमि का बिकय आवेदक क0 एक ने दो से चार के पक्ष में कलेक्टर टीकमगढ़ से प्र0 क0 09/अ-21/2008-09 में पारित आ0 दि0 01/07/2009 के द्वारा अनुमति लेने के उपरांत किया गया। तदुपरांत बिकय की अनुमति वावद कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 01/07/2009 में यह कमी पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितनी कीमत में यह भूमि बिकय की जावेगी। तथा किस ब्यक्ति द्वारा कय की जाबेगी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 03/01/2013 के द्वारा पूर्व में पारित आ0 दि0 01/07/2009 को निरस्त करते हुये अंतरण को शून्यवत घोषित किया। जिसके बिरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो उनके द्वारा अपने प्र0क0 442/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दि. 16/12/2014 के द्वारा निरस्त करके कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 को यथावत रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण की ओर से बिद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये । उन्हें श्रवण किया गया। प्रकरण सुनवाई वावद ग्राहय कर गुण दोंषों पर निराकरण किया जा रहा है। उन्होने अपने तर्कों में कहा है कि भूमि स्वामी सरूआ तनय बुद्वा सौंर द्वारा विधिवत रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि बिकय करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से प्राप्त करने वाबत विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसकी कलेक्टर ने	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि... आदि के हस्ताक्षर
	तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि बिकय करने की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की थी, कलेक्टर ने निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर बिकय करने की अनुमति दी थी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 01/07/2009 को बिकय की अनुमति देने व तत्पश्चात निष्पादित बिकय पत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत बिकेता सरूआ द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण उन्होंने पारित आ0 दि0 03/01/2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार पर भूमि बिकय की अनुमति दी गई थी। तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था, तथा यदि कलेक्टर द्वारा किसी ब्यक्ति बिशेष के नाम से बिकय की अनुमति दी जाती तो वह ब्यक्ति सुविधा एवं शर्तों के अनुसार भूमि कय करता और बिकेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता । आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का बिकय सक्षम अधिकारी से बिधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संब्यवहार नहीं हुआ है। अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 को वैद्य नहीं माना है । जिनकी विषय बस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। कलेकटर टीकमगढ़ के प्रकरण क0 09/अ–21/2008–09 में पारित आ0 दि0 01/07/2009 में बिबादित भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर बिकय करने की अनुमति दी है। बिकय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रकरण कमांक 833/11/2013 रामराजा होम्स विरूद्व शासन एवं अमित कुमार बिरूद्व रानी बगैरह में आदेश दिनांक 22/10/2014 को पुनर्विलोकन आदेश स्थिर रखते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 को निरस्त किया है। उपरोक्त बिवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 21/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आ0 दि0 16/12/2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलतः प्रकरण क0 09/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 01/07/2009 स्थित रहने से वादग्रस्त भूमि के बिकय के आधार पर किया गया अमल यथावत रहेगा । सदस्य	

निगरानी 364-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1– सरूआ तनय बुद्वा सौंर ,2– सुखवती तनय नंदराम कुश्वाहा ,
3– दुरजी तनय मथुरा कुश्वाहा , 4– चुन्नी तनय मेहमूद खान ,
सभी निबासी ग्राम कांटी , तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़,

.....आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ म0 प्र0

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निवेदन है:–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 442/अ–21/2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16/12/2014 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कांटी स्थित भूमि खसरा नं0 419/4 रकवा 02.023 है0 आवेदक क0 एक द्वारा आवेदक क0 02 से 04 को जरिये रजिस्टर्ड बिकय पत्र के बिकय की गई थी। कय दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी क0